रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 167] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 1981/चैत्र 30, 1903

No. 167] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 1981/CHAITRA 30, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1981

का. आ. 305(अ)/18-च ख/आई डी आर ए/81.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 277(अ)/18 च ख/आई डी आर ए/78, तारीख 20 अप्रैल, 1978 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों और अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूतदायित्वों से संबंधित हैं) जिनसे मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर की (1) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर, (2) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी (3) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, नैएनी, (4) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथभंजन, (5) मैसर्स उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर और (6) मैसर्स रायबरेली टैक्सटाइल्स मिल्स, राय बरेली नामक औद्योगिक उपक्रम पक्षकार हैं या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रमों को लागू हो सकती है, प्रवर्तन ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व तद्धीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि तक निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अस्तित्वावधि 20 अप्रैल, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी है, बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अस्तित्वावधि एक वर्ष तक और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अस्तित्वावधि 20 अप्रैल, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ाती है ।

[फा. सं. 3(6)/78-सी.यू.एस.]

आर. एन. चोपड़ा, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 20th April, 1981

S.O. 305(E)/18FB/IDRA/81.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development, No. S.O. 277(E) 18FB/

84 GI/81

IDRA/78, dated the 20th April, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders of other instruments, in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions), to which the Industrial undertakings known as (i) M/s. Swadeshi Cotton Mills Kanpur, (ii) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Pondicherry, (iii) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Naini, (iv) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Maunath Bhanjan, (v) M/s Udaipur Cotton Mills, Udaipur and (vi) M/s. Rae Bareli Textile Mills, Rae Bareli, of Messrs Swadeshi Cotton Mills Company Limited, Kanpur, are parties or which may be applicable to such industrial undertakings, shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the duration of said Order was extended upto and inclusive of the 20th April, 1981;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 20th April, 1982.

[File No. 3(6)/78-CUS]

R. N. CHOPRA, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981